पत्र स0-स0द0-जी0एस0टी0-माल परिवहन -2017-18 / 1231 / 1718028 / वाणिज्य कर,

कार्यालय कमिश्नर , वाणिज्य कर , उत्तर प्रदेश

(सचलदल अनुभाग)

लखनऊ :: दिनांक :: अगस्त , 22 2017

समस्त एडीशनल कमिश्नर /

एडीशनल कमिश्नर ग्रेड- 2(वि0अनु0शा0) /

ज्वाइन्ट कमिश्नर (वि0अनु0शा0) / (कार्यपालक) / (कार्पोरेट)

डिप्टी कमिश्ननर / असिस्टेन्ट कमिश्नर

उत्तर प्रदेश ।

उत्तर प्रदेश शासन की विज्ञप्ति संख्या-क0नि0-2-1014 /ग्यारह -9(52) /17 -उ0प्र0 अधि0-1-2017 -आदेश (31)-2017 दिनांक 21-07-2017 द्वारा प्रदेश में ई-वे बिल व्यवस्था लागू की गई थी जिसे मुख्यालय के परिपत्र संख्या-1028 दिनांक 27-07-2017 द्वारा प्रभावी दिनांक 16-08-2017 से लागू किया गया था । प्रश्नगत ई-वे बिल व्यवस्था में प्रान्त बाहर से 5000/-रुपये या उससे अधिक के करयोग्य माल लाये जाने पर ई-वे बिल 01, प्रान्त से प्रान्त के अन्दर एवं प्रान्त के अन्दर से प्रान्त बाहर 01 लाख रुपये या उससे अधिक मूल्य के मेंथा आयल व मेंथाल एवं डी0एम0ओ0 / सुपाड़ी / लोहा तथा इस्पात तथा सभी प्रकार के खाद्य तेल व वनस्पति घी के परिवहन हेतु ई-वे बिल 02 , ई कामर्स आपरेटर तथा उनके द्वारा अधिकृत परिवाहकों / कुरियर अभिकर्ताओं द्वारा माल के परिवहन की स्थिति में ई-वे बिल 03 तथा उत्तर प्रदेश के बाहर से किसी स्थान से राज्य के बाहर 5000/- रुपये या उससे अधिक मूल्य के माल हेतु टी0डी0एफ0 -01 का प्राविधान किया गया था । पुनः शासन द्वारा विज्ञप्ति संख्या -क0नि0-2-1158 /ग्यारह -9(52) /17 -उ0प्र0 अधि0-1-2017 -आदेश (38)-2017 दिनांक 18-08-2017 से उक्त विज्ञप्ति को संशोधित करते हुए निम्न व्यवस्था की गई है :-

प्रान्त बाहर से माल लाये जाने की स्थिति में 5000/- रुपये या उससे अधिक के करयोग्य माल के स्थान पर 50000/- रुपये या उससे अधिक के माल लाये जाने पर ई-वे बिल 01 का प्राविधान किया गया है । उत्तर प्रदेश के भीतर अथवा राज्य के भीतर किसी स्थान से राज्य के बाहर किसी स्थान तक 1 लाख रुपये या उससे अधिक के स्थान पर 50000/- रुपये या उससे अधिक मेंथा आयल व मेंथाल एवं डी0एम0ओ0 / सुपाड़ी / लोहा तथा इस्पात तथा सभी प्रकार के खाद्य तेल व वनस्पति घी के परिवहन पर ई-वे बिल 02 का प्राविधान किया गया है । ई-कामर्स आपरेटर अथवा उनके द्वारा अधिकृत परिवाहकों / कुरियर अभिकर्ताओं या परिदान अभिकर्ताओं के द्वारा प्रदेश के बाहर के किसी स्थान से 50000/- रुपये या उससे अधिक मूल्य के कराधेय माल का किसी एक व्यक्ति को परिदान हेतु परिवहन किये जाने की स्थिति में ई -वे बिल 03 का प्राविधान किया गया है । उत्तर प्रदेश के बाहर किसी स्थान से राज्य के बाहर किसी स्थान को ले जाने की स्थिति में 50000/- रुपये या उससे अधिक करयोग्य माल के परिवहन के लिये टी0डी0एफ0-01 का प्राविधान किया गया है ।

उक्त दोनों विज्ञप्तियों की प्रतियाँ इस पत्र के साथ संलग्न कर इस निर्देश के साथ प्रेषित की जा रहीं हैं कि संशोधित प्राविधानों का विस्तृत प्रचार-प्रसार कराते हुये व्यापारिक संघो , औद्योगिक संगठनों , अधिवक्ता एवं अन्य संगठनों को प्रतियाँ उपलब्ध कराते हुये पर्याप्त जानकारी दी जाये तथा इन प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये ।

संलग्नक- यथोपरि ।

22/08/17

(मुकेश कुमार मेश्राम)

कमिश्नर , वाणिज्य कर / राज्य कर,

उत्तर प्रदेश , लखनऊ ।